"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 281] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 2 जुलाई 2013—आषाढ़ 11, शक 1935

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 2 जुलाई 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-16/2011/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 85 की उप-धारा (1) सहपठित धारा 24 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 1975 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 85 उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 16 (क) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु यदि केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग/स्थानीय प्राधिकरण या उक्त अधिनियम के अधीन गठित किसी प्राधिकरण या केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा किसी सार्वजनिक प्रयोजन की शासकीय योजना के अधीन स्थापित किसी सार्वजनिक क्षेत्र, उपक्रम निगम, बोर्ड या किसी संस्था द्वारा, उक्त अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में कोई विकास/निर्माण किया जाता है और धारा 37 की उप-धारा (3) के अधीन ऐसे अनाधिकृत विकास/निर्माण के नियमितिकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा (5) के अधीन विहित अनुसार शमन शुल्क में छूट दी जा सकेगी :

परन्तु यह भी कि यदि विकास/निर्माण उक्त अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गये नियम के उपबंधों तथा विकास योजना के अनुसार नहीं पाया जाता है, तो संबंधित विभाग/संस्था द्वारा विकास/निर्माण के ऐसे भाग को जो नियमितिकरण हेतु दायी नहीं है, हटा लेने के पश्चात्, शेष भाग को नियमित किया जायेगा तथा संबंधित विभाग/संस्था के प्राधिकृत अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलेक्स पॉल मेनन, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 2 जुलाई 2013

क्रमांक एफ 7-16/2011/32.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 1975 में संशोधन संबंधी इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 02-07-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलेक्स पॉल मेनन, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 2nd July 2013

NOTIFICATION

No. F 7-16/2011/32.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 85 read with sub-section (3) of Section 24 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973, the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Niyam, 1975, the same having previously published as required under sub-section (1) of Section 85 of the said Act, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. After Rule 16(a), the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that if any development/construction is made in contravention of the provisions of the said Adhiniyam by any department of Central Government or State Government/Local Authority or any Authority constituted under the said Adhiniyam or any Public Sector, Undertaking Corporation, Board or any institution established by the Central or State Government, under any Government Scheme of public purpose and submits application for regularization of such unauthorized development/construction under sub-section (3) of Section 37, then relaxation can be given in compounding fee as prescribed under sub-section (5) of Section 37 of the said Adhiniyam by the State Government :

Provided also that if development/construction is not found in accordance with the provisions of the said Adhiniyam and rules made thereunder and the development plan, then after removal of such part of development/construction by the concerned department/institution which is not liable for regularization, remaining part shall be regularized and disciplinary action can be taken against the authorized officer of the concerned department/institution."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ALEX PAUL MENON, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.